फर्द अहकाम

...य उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम .... गोविन्दगढ़ (अलवर)

.... इकबाल .... बनाम .... बनैसिंह वगैरा

प्रकरण सं. .... ता. रुजू ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
03.07.2023	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र पेश किया व अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी ता0 पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वो विवादीत आराजी खसरा नम्बर 147, 459 वाके ग्राम दौंगड़ी तह0 गोविन्दगढ़ में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं रहनबय व बेचान ना करे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जांरी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में सें किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यतः बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावेंगा। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 04.08.2023 को असालतन/वकालतन उपस्थित होकर पेश करें, कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब हो, पत्रावली दिनांक 04.08.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
04.08.23	पत्रावली पेश [redacted] /RO. साहब अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 08.09.23 को पेश हो	
08.9.23	वकील प्रार्थी उपस्थित साबिक आदेश दिनांक 03.7.23 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी रजि॰डाक से अंतिम मौका दिनांक 26/9/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
23.04.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। बहुलाम पक्षकार उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। समय दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र 212 RTA आदेश हेतु 19.5.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
19.5.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी अनु०। वकील व उनके प्रार्थी को न्यायालय द्वारा बार बार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थना पत्र 212 RTA वकील व उनके प्रार्थी की अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

Scanned with CamScanner